

फर्द अहकाम

लक्ष्मी देवी बनाम कलकत्ता देवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 62/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विषय
	14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पदकार उपाखित पत्रावली वास्ते इंतजार विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 24/6/24 को पेश थे। (कॉपी)	
	24/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पदकार उपा.। पत्रावली में कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते वरुस कुरैजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 24/6/24 नियत थी। तहसीलदार तूंगा के पत्रांक भू.अ./2024/1895 दिनांक 20/06/24 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पूर्व में शामिल मिशाल है।</p> <p>प्रकरण बंटवारा से संबंधित होने तथा तहसीलदार तूंगा द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर वकील वादीया ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण की अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।</p> <p>वकील वादी की बहस एकपक्षीय कुरैजात पर खुली गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने तथा बहस कुरैजात पर मनन करने के पश्चात न्यायाधीश को ध्यान में रखते हुए वादीया का वाद अंतिम डिक्री किया। (कॉपी)</p>	

फर्द अहकाम

सदमा 3-17 वनाम कलकली 3-1

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 82/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>जाता है कि बादशरत झाराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 0.0759 हे०, मे.मु.चाह, ख.न. 150 रकबा 0.7334 हे०, ख.न. 150/1 रकबा 0.5184 हे०, ख.न. 150/2 रकबा 0.4426 हे०, ख.न. 150/3 रकबा 0.3035 हे०, ख.न. 150/4 रकबा 0.5058 हे०, ख.न. 150/5 रकबा 0.0885 हे०, ख.न. 150/6 रकबा 0.1517 हे०, ख.न. 150/7 रकबा 0.1138 हे० कुल किता - 9 कुल रकबा 2.9336 हे० स्थित ग्राम पीलारामा प.ह. मटेरी भू.भ. नि. पारन तहसील तूंगा जिला जयपुर में खे ख.न. 150/4/2 रकबा 0.3547 हे०, ख.न. 150/5 रकबा 0.0885 हे०, ख.न. 150/6 रकबा 0.1517 हे०, ख.न. 150/7 रकबा 0.1138 हे०, ख.न. 150/8 रकबा 0.7202 हे० कुल किता - 5 कुल रकबा 1.4289 हेक्टेयर की भूमि खातेदार ओकार पुत्र मूलचन्द हिस्सा पूर्वा जाति खाति सा. देह खातेदार साहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ इंडिया शाखा बांसखोह के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 150/1 रकबा 0.5184 हे०, ख.न. 150/2 रकबा 0.4426 हे०, ख.न. 150/3 रकबा 0.3035 हे०, ख.न. 150/4/1 रकबा 0.1511 हे०, ख.न. 150/9 रकबा 0.0132 हे० की भूमि खातेदार लड्या</p>	

लड्या

फर्द अहकाम

लक्ष्मी देवी बनाम कलकल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
 राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 62/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी
 राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 62/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

क्रम संख्या दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

देवी पत्नी कजोड़मल हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नम्बर 149 रकबा 0.0759 हेक्टेयर की भूमि खातेदारी ओकार पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खान) बैंक ऑफ इंडिया शाखा वांस्खोह, लक्ष्मी देवी पत्नी कजोड़मल हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तूंगा द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव/कुरैजात रिपोर्ट में खातेदार ओकार पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 का फौत होना अंकित होकर आया है। इसलिए तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि ओकार पुत्र मूलचन्द के कानूनी वारिसान की जांच कर, उसके कानूनी वारिसान का विधिवत नामान्तरण भरा जावे। उक्तानुसार तहसीलदार तूंगा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नक्शे की प्रति तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावे। इस आशय की तहरीर जारी है। उक्ति पर्याप्त

लक्ष्मी

फर्द अहकाम

लक्ष्मी देवी

बनाम

रुकुमणी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 62/2-23

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

जारी हो।

पत्रावली पर अह निर्णय आज दिनांक 24/06/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली कैबल कुमार होकर वाद तकनीक दाखिल दफ्तर हो।

लक्ष्मी

अंतिम डिक्री मुकदमा इत्यादाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बरसी, जयपुर ग्रामीण
वादीया प्रतिवादीगण

बनाम


1. लक्ष्मादेवी पत्नि कजोडमल जाति
गुर्जर निवासी ग्राम गढोली तह.
तूंगा जिला जयपुर।

1. रुकमणी देवी पत्नि ओकार
2. रामकिशोर पुत्र ओकार
3. बाबूलाल पुत्र ओकार
4. बंशीलाल पुत्र ओकार
5. हनुमान पुत्र ओकार
6. पप्पू पुत्र ओकार
समस्त जाति खाती निवासी ग्राम गढोल
तह. तूंगा जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी
तहसील बरसी जिला जयपुर।
8. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बांसखो जिला
जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

मुकदमा नम्बर 62/2023

वादीया का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 149 रकबा 0.0759 है0, गै.मु.चाह, ख.नं. 150 रकबा 0.7334 है0, ख.नं. 150/1 रकबा 0.5184 है0, ख.नं. 150/2 रकबा 0.4426 है0, ख.नं. 150/3 रकबा 0.3035 है0, ख.नं. 150/4 रकबा 0.5058 है0, ख.नं. 150/5 रकबा 0.0885 है0, ख.नं. 150/6 रकबा 0.1517 है0, ख.नं. 150/7 रकबा 0.1138 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.9336 है0 स्थित ग्राम पीलारामा प.ह. भटेरी भू.अ.नि. पाटन तह. तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 150/4/2 रकबा 0.3547 है0, ख.नं. 150/5 रकबा 0.0885 है0, ख.नं. 150/6 रकबा 0.1517 है0, ख.नं. 150/7 रकबा 0.1138 है0, ख.नं. 150/8 रकबा 0.7202 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.4289 है0 की भूमि खातेदार ओकार पुत्र मूलचन्द हिस्सा पूर्ण जाति खाति सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बांसखोह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 150/1 रकबा 0.5184 है0, ख.नं. 150/2 रकबा 0.4426 है0, ख.नं. 150/3 रकबा 0.3035 है0, ख.नं. 150/4/1 रकबा 0.1511 है0, ख.नं. 150/9 रकबा 0.0132 है0 की भूमि खातेदार लक्ष्मा देवी पत्नि कजोडमल हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 149 रकबा 0.0759 है0 की भूमि खातेदारी ओकार पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2(पूर्ण खाता) बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बांसखोह, लक्ष्मा देवी पत्नि कजोडमल हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार तूंगा द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव / कुर्रजात रिपोर्ट में खातेदार ओकार पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/2 का फौत होना अंकित होकर आया है। इसलिये तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि ओकार पुत्र मूलचन्द के कानूनी वारिसान



सहायक कलक्टर
बरसी जिला जयपुर

की जांच कर, इसके कानूनी वारिसान का विधिवत नामान्तरण भरा जावे। उक्तानुसार तहसीलदार तूंगा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव व नक्शे की प्रति तहसीलदार तूंगा को भिजवाया जावे।निजी.....मुबलिक.
बाबत.....खर्चा.....इस मुकदमें का मय सूद
 वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा
 करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24.06.2024 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त.....*[Signature]*.....

सहायक कलेक्टर
 बस्सी जिला जयपुर

वर्द्ध	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

ट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो नहीं दर्ज करना चाहिए।

[Signature]
 सहायक कलेक्टर
 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण